कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1613 /33–1रोड/दिनांक, हमीरपुर, जनवरी 17 ,2020.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–2
लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर।

विषयः–जनपद–हमीरपुर में बिलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या–21) के चैनेज कि0मी0 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) तक 4–लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–विशेष सचिव उ0प्र0 शासन का पत्रसंख्या–पी–135/81–2–2019–800(02)/2020 दिनॉक 16.01.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1421/11–सी–FP/UP/ROAD /41235/2019/दिनॉक 16.01.2020.

महोदय,

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जो कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित है तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्रांक द्वारा जो कि इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित है। विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त शासन द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट आख्या मॉगी गयी हैः–

1. जनपद–हमीरपुर में विलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग (एस0एच0–21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) 4 लेन के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 49.32 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उल्लिखित मार्ग "विलरायॉ–पनवाड़ी मार्ग" का चौड़ीकरण शेष भाग में नही किया जा रहा है? स्पष्ट करें।
2. यह भी स्पष्ट किया जाय कि परियोजना की स्वीकृति मार्ग चैनेज 398.600 से 427.000 तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्ग कि0मी0 399.600 से 427.000 में अन्तर क्यों है?

अतः कृपया उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुये आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आख्या शासन को उपलब्ध कराते हुये प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।